न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 44/2021

वादी :– बाबूलाल पुत्र श्री तेजाराम, जाति सीरवी खारड़िया, निवासी ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्रीमति आयचुकी पत्नी श्री तेजाराम
2. मांगीलाल पुत्र श्री तेजाराम
3. हड़मानराम पुत्र श्री तेजाराम
   सभी जातियान सीरवी खारड़िया, निवासीगण ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 23/1/23

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में भूमि खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1504/1 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1776 रकबा 1.6827 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4610 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4611/1 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 630 रकबा 1.4481 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.6873 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सयुक्त खातेदारी की स्थित है। उक्त खसरान की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा सयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी को घर में लाड प्यार से पोकरराम व बाबूलाल दोनो नामों से पुकारते है तथा वादी का सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत भावी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र श्री तेजाराम दर्ज है। वादी का घर पर लाड प्यार का नाम पोकरराम होने से उपरोक्त खसरान की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में जमाबन्दी में पोकरराम दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज कर दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम बाबूलाल है। वादी अभी तीन माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर केसीसी ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया ओर अपने सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, भामाशाह

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड, बैक डायरी आदि दस्तावेज बैक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम बाबूलाल लिखा हुआ है और राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पोकरराम के स्थान पर बाबुलाल नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी पोकरराम व बाबूलाल एक ही व्यक्ति है तथा वादी के पति का नाम तेजाराम है तथा उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 का सयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी विवादग्रस्त भूमि में से अपना 1/4 हिस्सा की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार व अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील रिवीजन आदि पेश नही की है। अन्य सयुक्त खातेदारान का कोई हक व हिस्सा प्रभावित नही होता है। इस कारण वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में पोकरराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है।

अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी के 1/4 हिस्से की खातेदारी पोकरराम पुत्र तेजाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र तेजाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उपस्थिति हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से वादी के वाद का जवाब पेश नही कर सीधे बहस में भाग लेने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादी के वाद का जवाब पेश कर अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में वादी के स्थित 1/4 हिस्से की खातेदारी पोकरराम पुत्र तेजाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र तेजाराम की खातेदारी घोषित की जाती है तो भूमिधारी की इसमें पूर्ण सहमति है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डन नही करने के कारण पत्रावली में तनकीयात जारी नही की गयी तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से वादी के वाद के समर्थन में स्वयं के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत भावी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, स्वयं का आधारकार्ड, पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज पेश किये।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व प्रतिवादी संख्या 4 की दुरूस्ती के सम्बंध में सहमति के आधार पर राजस्व ग्राम भावी (एस. बी.) तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1504/1 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1776 रकबा 1.6827 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4610 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4611/1 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 630 रकबा 1.4481 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.6873 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम पोकरराम पुत्र तेजाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र तेजाराम की दुरूस्त/घोषित किया जाना उचित है।

इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1504/1 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1776 रकबा 1.6827 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4610 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4611/1 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 630 रकबा 1.4481 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.6873 हैक्टेयर में स्थित वादी के 1/4 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम पोकरराम पुत्र तेजाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र तेजाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/1/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**
बाबूलाल श्रीमति आयचुकी व अन्य

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 44/2021

निर्णय दिनांक :– 23/1/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मेरे व हाजिर श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2 से 3 व 9 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1504/1 रकबा 1.3187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1776 रकबा 1.6827 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4610 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4611/1 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 630 रकबा 1.4481 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.6873 हैक्टेयर में स्थित वादी के 1/4 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम पोकरराम पुत्र तेजाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र तेजाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/1/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा